Diamond Jubilee of Rajbhasha

On 14 September 2024, India will celebrate a significant milestone: the 75th anniversary of Hindi designated as the official language of the Union. This occasion, known as Hindi Day, commemorates a crucial decision made by the Constituent Assembly on this date in 1949. The decision was taken after rigorous debates about the official language and script, culminating in the choice of Hindi written in the Devanagari script.

The debate on the official language began on 12 September 1949 and concluded on 14 September 1949. During this period, members of the Constituent Assembly engaged in a series of discussions but the majority favored the Devanagari script. This preference was solidified in the final agreement, which established Hindi as the official language of the Union in Devanagari script.

The decision was later formalized with the enactment of the Official Languages Act, 1963. This Act was designed to facilitate the use of Hindi in official transactions of the Union. This was further supported by the Official Language Resolution adopted in December 1968 and the Official Language Rules, 1976. These legislative measures were aimed at ensuring the progressive implementation of Hindi for various official purposes of the Union.

The Department of Official Language was established in June 1975 as an independent department within the Ministry of Home Affairs. Its primary mandate is to ensure compliance with constitutional and legal provisions regarding the use of Hindi and to promote its use in official matters based on the policy of motivation, encouragement and goodwill. Since its inception, the Department has been dedicated to advancing the progressive use of Hindi. In recent years, the Department has undertaken several significant initiatives:

Development of "Kanthastha" Software: A notable achievement is the creation of "Kanthastha," a software developed with the help of the Center for Development of Advanced Computing (C-DAC) in Pune. This software leverages memory and artificial intelligence to assist in translating new documents. Kanthastha utilizes both local and global translation memory to improve accuracy and efficiency. An advanced version, Kanthastha-2.0 was launched on the occasion of Hindi Diwas on September 14, 2022. It features enhanced capabilities and tools, reflecting the Department's commitment to technological advancement in language translation.

Creation of Digital Dictionary "Hindi Shabd Sindhu": Another significant initiative is the development of a digital dictionary named "Hindi Shabd Sindhu." This comprehensive resource includes terms from various domains such as health, technology, media, and law. It also integrates popular words from different Indian languages, showcasing the richness and diversity of the linguistic landscape in India. This dictionary aims to enhance the accessibility and usability of Hindi in various professional and academic fields.

Establishment of Bhartiya Bhasha Anubhag: The Bhartiya Bhasha Anubhag is an ambitious project initiated by the Department also to have the official correspondence between the Central and State Governments in the respective official languages of the States. This initiative is designed to facilitate more efficient and effective communication within the framework of India's federal structure.

Hindi Diwas and Official Language Conferences: The Department has organized a series of events to promote Hindi, including the Hindi Diwas celebrations and All India Official Language Conferences. The first conference took place in Varanasi, Uttar Pradesh, on 13-14 November 2021, under the guidance of the Hon'ble Home Minister. It saw participation from over 2,500 Hindi enthusiasts from across the country. The second and third conferences were held in Surat (2022) and Pune (2023), respectively, with each event drawing over 8000 participants. The fourth conference is scheduled for 14-15 September 2024 at Bharat Mandapam, New Delhi, coinciding with this year's Hindi Day celebrations. This event is also expected to attract more than 8,000 central government officials.

To honor the 75th anniversary of Hindi as the official language, the Department of Official Language has declared 2024-25 as the Official Language Diamond Jubilee Year. This special designation reflects the Department's efforts to recognize and celebrate the significance of the official language Hindi in India's official and cultural spheres.

The Department of Posts is pleased to announce the release of a commemorative postage stamp to celebrate the Diamond Jubilee of Rajbhasha, marking 75 years since Hindi was officially designated as the Union's language. This commemorative stamp is designed to honor the significant role Hindi has played in fostering unity and serving the diverse linguistic communities across India. The commemorative postage stamp will stand as a tribute to the enduring importance of Hindi in the nation's administrative and cultural landscape, celebrating its journey and impact over the past 75 years.

Credits:

Stamp/FDC/Brochure	:	Sh. Sankha Samanta.
FDC resource material	:	National Mission of Manuscripts
Cancellation Cachet	:	Sh. Sankha Samanta.
Text	:	Referenced from content provided by Proponent

भारतीय डाक विभाग
DEPARTMENT OF POSTS

राजभाषा हीरक जयंती
DIAMOND JUBILEE OF RAJBHASHA

विवरणिका BROCHURE

राजभाषा हीरक जयंती

14 सितंबर 2024 को, भारत हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किए जाने के 75 वर्ष पूरे होने की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में मनाएगा। इस अवसर को, वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्मृति में, हिंदी दिवस के रूप में जाना जाता है। राजभाषा और लिपि के बारे में यह निर्णय गहन विचार-विमर्श के बाद लिया गया, जिसमें देवनागरी लिपि वाली हिंदी का चयन किया गया।

राजभाषा के विषय पर यह विचार-विमर्श 12 सितंबर, 1949 को शुरू होकर 14 सितंबर, 1949 को समाप्त हुआ। इस अवधि के दौरान, संविधान सभा के सदस्यों के बीच अनेक दौर की चर्चा-परिचर्चा हुई लेकिन अधिकतर सदस्यों ने देवनागरी लिपि के पक्ष में अपनी राय दी। अंत में इस प्रस्ताव पर यह सहमति बनी कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी।

बाद में, इस निर्णय को राजभाषा अधिनियम, 1963 के लागू होने पर औपचारिक रूप दिया गया। अधिनियम की संरचना हिंदी के आधिकारिक प्रयोग को सुकर बनाने के लिए की गई। इसे बाद में राजभाषा संकल्प, 1968 और राजभाषा नियम, 1976 से बल मिला। इन विधायी उपायों का उद्देश्य संघ के विभिन्न आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रगामी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना था।

राजभाषा विभाग की स्थापना जून 1975 में गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में की गई। इसका मुख्य अधिदेश प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना की नीति के आधार पर, सरकारी कार्य में हिंदी के प्रयोग के संबंध में संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना और इसके प्रयोग को बढ़ावा देना है। अपनी स्थापना के समय से ही, विभाग हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए समर्पित रहा है। हाल के वर्षों में, विभाग ने कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं:

"कंठस्थ" सॉफ्टवेयर का विकास: "कंठस्थ" सॉफ्टवेयर का विकास विभाग की उल्लेखनीय उपलब्धि है, इसे प्रगत संगणन विकास केंद्र (सी-डैक), पुणे की सहायता से विकसित किया गया है। यह सॉफ्टवेयर मेमोरी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके दस्तावेजों के अनुवाद में सहायता करता है। कंठस्थ सटीकता और क्षमता में सुधार करने के लिए लोकल और ग्लोबल- दोनों प्रकार की अनुवाद मेमोरी का उपयोग करता है। 14 सितंबर, 2022 को हिंदी दिवस के अवसर पर कंठस्थ-2.0 के उन्नत संस्करण का लोकार्पण किया गया। इसमें उन्नत क्षमताएँ और सुविधाएं हैं, जो भाषा अनुवाद में तकनीकी उन्नति के लिए विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

डिजिटल शब्दकोश "हिंदी शब्द सिंधु" का निर्माण: विभाग की एक अन्य महत्वपूर्ण पहल "हिंदी शब्द सिंधु" नामक एक डिजिटल शब्दकोश का विकास है। इस व्यापक शब्दकोश में स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, मीडिया और विधि जैसे विभिन्न क्षेत्रों की शब्दावली शामिल है। इसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं के लोकप्रिय शब्दों को एकीकृत किया गया है, जो भारत में भाषाई परिदृश्य की समृद्धि और विविधता को दर्शाता है। इस कोश का उद्देश्य विभिन्न व्यावसायिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में हिंदी की पहुंच और उपयोगिता को बढ़ावा देना है।

भारतीय भाषा अनुभाग की स्थापना: भारतीय भाषा अनुभाग विभाग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राज्यों की संबंधित राजभाषाओं में सरकारी पत्राचार की सुविधा प्रदान करना है। यह पहल भारत के संघीय ढांचे की रूपरेखा के तहत अधिक कुशल और प्रभावी संचार व्यवस्था की सुविधा के लिए की गई है।

हिंदी दिवस और राजभाषा सम्मेलन: हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें हिंदी दिवस समारोह और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन शामिल हैं। पहला सम्मेलन माननीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में 13-14 नवंबर 2021 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इसमें देश भर से 2500 से अधिक हिंदी प्रेमियों ने भाग लिया। दूसरा और तीसरा सम्मेलन क्रमशः सूरत (2022) और पुणे (2023) में आयोजित किया गया, जिनमें 8000 से ज्यादा की सहभागिता रही। चौथे सम्मेलन का आयोजन हिंदी दिवस समारोह के साथ, 14-15 सितंबर 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्र सरकार के 8000 से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों के भाग लेने की संभावना है।

राजभाषा के रूप में हिंदी के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में, राजभाषा विभाग ने 2024-25 को राजभाषा हीरक जयंती वर्ष घोषित किया है। यह विशेष प्रयास भारत के शासकीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों में राजभाषा हिंदी के महत्व को प्रतिबिंबित करने के विभाग के प्रयासों को दर्शाता है।

हिंदी को आधिकारिक तौर पर संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किए जाने के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राजभाषा हीरक जयंती मनाने हेतु, डाक विभाग इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करने की सहर्ष घोषणा करता है। स्मारक डाक टिकट को भारत की एकता को प्रोत्साहित करने और विविध भाषाई समुदायों की सेवा करने में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करने हेतु डिजाइन किया गया है। स्मारक डाक टिकट से विगत 75 वर्षों में राष्ट्र के प्रशासनिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में हिंदी की यात्रा तथा इसके प्रभाव के स्थायी महत्व को रेखांकित किया जा सकेगा।

आभार :

डाक-टिकट/प्रथम दिवस आवरण/विवरणिका : श्री शंख सामंत

प्रथम दिवस आवरण संसाधन सामग्री : राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन

विरूपण कैशे : श्री शंख सामंत

पाठ : प्रस्तावक द्वारा प्रदत्त सामग्री से संदर्भित

तकनीकी आंकड़े
TECHNICAL DATA

मूल्य	:	500 पैसे
Denomination	:	500 p
मुद्रित डाक टिकट	:	305950
Stamps Printed	:	305950
मुद्रण प्रक्रिया	:	वेट ऑफसेट
Printing Process	:	Wet Offset
मुद्रक	:	प्रतिभूति मुद्रणालय, हैदराबद
Printer	:	Security Printing Press, Hyderabad

The philatelic items are available for sale at Philately Bureaus across India and online at http://www.epostoffice.gov.in/PHILATELY_3D.html

© डाक विभाग, भारत सरकार। डाक टिकट, प्रथम दिवस आवरण तथा सूचना विवरणिका के संबंध में सर्वाधिकार विभाग के पास हैं।

© Department of Posts, Government of India. All rights with respect to the Stamp, First Day Cover and Information Brochure rest with the Department.

मूल्य ₹ 15.00